135

2983-PBR-16

श्रीमती शांतिबाई आयु 52 वर्ष
पुत्री चैना पत्नी रामगोपाल गौंड
निवासी–इटारसी तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद

............पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. मंशाराम आत्मज इमरतलाल
2. चैना गौंड आत्मज दुलिया
   दोनो निवासी ग्राम मकोड़िया
   तहसील बाबई जिला होशंगाबाद

...........उत्तरवादीगण

3. शासन द्वारा तहसीलदार महोदय बाबई

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

आवेदिका की ओर से निम्न निवेदन है–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि आवेदिका के पिता चैना गौंड जो उत्तरवादी क्र. 2 हैं के नाम पर ग्राम मकोड़िया तहसील बाबई जिला होशंगाबाद में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 89, 131/2, 152/2क कुल रकबा 3.018 हेक्टर राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जिसे उत्तरवादी क्र. 1 के पक्ष में आपसी बटवारे के अनुसार धारा 178क म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत तहसीलदार बाबई जो उत्तरवादी क्र. 3 है ने संशोधन पंजी क्र. 12 पर किये गये प्रमाणीकरण दिनांक 13.09.2010 के द्वारा अंतरित की गई जिससे असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के समक्ष एक अपील प्रकरण क्र. 49/अपील/2010–11 में आदेश दिनांक 29.06.2012 को ग्राम मकोड़िया तहसील बाबई की संशोधन पंजी क्र. 12 पर किया गया प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 13.09.2010 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया गया ।

N.F
29/9/16

यह कि उत्तरवादी क्र. 1 द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के आदेश दिनांक 29.06.2012 से व्यथित होकर न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष एक अपील 258/अपील/

यह कि उक्त न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के आदेश दिनांक 29.06.2012 एवं न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के आदेश दिनांक 16.07.2015 के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा रिकार्ड दुरूस्त हेतु तहसीलदार बाबई के समक्ष रा.प्र.क्र. 58ए-6ए वर्ष 2014-15 ग्राम मकोड़िया जिसके पक्षकार शांतिबाई विरूद्ध मंशाराम में तहसीलदार बाबई द्वारा उक्त प्रकरण को विधि विरूद्ध दिनांक 27.05.2016 को निरस्त कर दिया । जिसकी जानकारी आवेदिका को दिनांक 25.07.2016 को सर्वप्रथम बार हुई एवं उसी दिनांक 25.07.2016 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की जिससे व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत है ।

प्रकरण के आधार एवं तथ्य

1. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदया बाबई (श्रीमती शिवानी पाण्डे) के द्वारा रा.प्र.क्र. 58ए-6ए वर्ष 2014-15 ग्राम मकोड़िया जिसके पक्षकार शांतिबाई विरूद्ध मंशाराम में पारित आदेश दिनांक 27.05.2016 विधि एवं तथ्यों एवं प्रक्रिया के विरूद्ध पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा रिविजनकर्ता का उक्त प्रकरण विधि की सम्यक प्रक्रिया में विचाराधीन था जिसमें उत्तरवादी क्र. 1 के अधिवक्ता द्वारा मात्र मौखिक रूप से व्यक्त किया कि राजस्व मण्डल द्वारा रिकार्ड मांगा गया है प्रकरण को समाप्त किया जाये जिसे आधार मानकर प्रकरण समाप्त कर दिया गया जो प्रक्रिया के विरूद्ध है ।

3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय को उत्तरवादी क्र. 1 के अधिवक्ता से राजस्व मण्डल द्वारा जारी मांग पत्र की प्रति प्राप्त करना था तथा पुनरीक्षणकर्ता के प्रकरण को प्रतीक्षा हेतु नियत करना था तथा उक्त प्रकरण से संबंधित अभिलेख को राजस्व मण्डल की ओर प्रेषित करना था जो नहीं कर विधिक सिद्धांतों की अवहेलना कारित किया जाना प्रगट है ।

4. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र उनके आदेश में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के रिविजनकर्ता का प्रकरण समाप्त किया गया है जिसे दोबारा लगाये जाने पर विधिक प्रक्रिया से गुजरकर रेसज़ुडिकेटा का सिद्धांत

R 2983 M&R/16 होशंगाबाद

24-5-2017	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। अनावेदक की ओर से श्री आलोक गुप्ता अभि०उप०	
	अध्यक्ष	